अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956

[Immoral Traffic (Prevention) Act]

(1956 का अधिनियम सं० 104)

[30-12-1956]

विषय-सूची

धाराएं :

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ
2. परिभाषाएं

2–क. जम्मू-कश्मीर पर विस्तार न रखने वाली अधिनियमितियों के अर्थान्वयन का नियम

3. वेश्यावृत्ति बनाये रखने अथवा परिसर को वेश्यागृह के रूप में प्रयोग करने को अनुज्ञात करने के लिए दण्ड
4. वेश्यावृत्ति के उपार्जन पर जीविका निर्वाह के लिए दण्ड
5. वेश्यावृत्ति कराने के लिए व्यक्ति को लेना, उत्प्रेरित या उपाप्त करना
6. किसी व्यक्ति का परिसर में निरोध, जहाँ वेश्यावृत्ति की जा रही हो
7. लोक स्थान में या उसके आस-पास वेश्यावृत्ति
8. वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए विलुप्त करना या याचना करना
9. किसी व्यक्ति की अभिरक्षा में विलुप्त करना
10. सदाचरण की परिवीक्षा पर सम्यक् भर्त्सना पर छोड़ देना

10.क. सुधार संस्था में निरोध

11. पूर्वतन दोषसिद्धि अपराधियों के पतों की अधिसूचना
12. आभ्यासिक अपराधियों से सदाचरण के लिए प्रतिभूति
13. विशेष पुलिस अधिकारी और सलाहकार निकाय

धाराएं :

14. अपराधों का संज्ञेय होना
15. बिना वारण्ट के तलाशी
16. किसी व्यक्ति को छुड़ाया जाना
17. धारा 15 के अधीन हटाए गए और धारा 16 के अधीन छुड़ाए गए व्यक्तियों की मध्यान्तरिक अभिरक्षा

17क. धारा 16 के अधीन छुड़ाये गए व्यक्तियों के माता-पिता या संरक्षक के पास रखे जाने के पूर्व पालन की जाने की शर्तें

18. वेश्यागृहों का बन्द किया जाना और अपराधियों की परिसर से बेदखली
19. संरक्षण गृह में रखे जाने के लिए या न्यायालय द्वारा संरक्षण और देखभाल उपबन्धित करने के लिए आवेदन
20. वेश्याओं को किसी स्थान से हटाया जाना
21. संरक्षक गृह और सुधार संस्थाएँ

21क. अभिलेख पेश करना

22. विचारण

22-क. विशेष न्यायालय स्थापित करने की शक्ति

22कक. विशेष न्यायालय गठित करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति

22-ख. न्यायालयों की मामलों को संक्षिप्त विचारण की शक्ति

23. नियम बनाने की शक्ति
24. अधिनियम का कतिपय अन्य विधियों के अल्पीकरण के रूप में न होना
25. निरसन और व्यावृत्तियाँ

अनैतिक व्यापार के निवारण के लिए मई 1950 के नवें दिन न्यूयार्क में हस्ताक्षरित अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के अनुसरण में उपबन्ध करने हेतु अधिनियम

भारतीय गणराज्य के सातवें वर्ष में संसद द्वारा यह निम्न प्रकार अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—(1) यह अधिनियम अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर होगा।

(3) यह धारा तत्काल प्रवृत्त हो जाएगी और इस अधिनियम के शेष उपबन्ध ऐसी तारीख को प्रवृत्त होंगे, जैसी केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) **'वेश्यागृह'** के अन्तर्गत कोई मकान, कक्ष, वाहन या स्थान अथवा मकान, कक्ष, वाहन या स्थान का कोई भाग होता है, जो लैंगिक शोषण या दुरुपयोग के प्रयोजन के लिए, किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए अथवा दो या अधिक वेश्याओं के पारस्परिक लाभ के लिए किया जा रहा हो;

[(क-क) **''बालक''** से अभिप्रेत है, वह व्यक्ति जिसने सोलह वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है;]

(ख) **'सुधार संस्था'** से किसी नाम से कही जा सकने वाली संस्था (धारा 24 के अधीन इस प्रकार अनुज्ञापित या स्थापित संस्था होते हुए), जिसमें वे व्यक्ति जिन्हें सुधार की आवश्यकता है, इस अधिनियम के अधीन निरुद्ध किये जा सकेंगे और इसमें कोई आश्रय सम्मिलित होगा, जहाँ इस अधिनियम के अनुसार विचारणाधीनों को रखा जा सके;

(ग) **'मजिस्ट्रेट'** से अनुसूची के द्वितीय कॉलम में, किसी धारा द्वारा जिसमें वह पद आता है, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने को सक्षम होते हुए और जो अनुसूची के प्रथम कॉलम में विनिर्दिष्ट हैं, वे विनिर्दिष्ट मजिस्ट्रेट अभिप्रेत हैं,

[(ग-क) **'वयस्क'** से अभिप्रेत है, वह व्यक्ति जिसने अट्ठारह वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है;

(ग-ख) **'अवयस्क'** से अभिप्रेत है, वह व्यक्ति जिसने सोलह वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु अट्ठारह वर्ष की आयु पूर्ण न की हो;]

(घ) **'विहित'** से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ङ) [विलुप्त]।

[(च) **'वेश्यावृत्ति'** से अभिप्रेत है, वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए व्यक्तियों का लैंगिक शोषण या दुरुपयोग और अभिव्यक्ति **'वेश्या'** का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा]

(छ) **'संरक्षण गृह'** से किसी नाम से कहीं जा सकने वाली संस्था (धारा 21 के अधीन इस प्रकार अनुज्ञापित या स्थापित संस्था होते हुए) अभिप्रेत है, जिसमें वे व्यक्ति देख-भाल और संरक्षण की आवश्यकता है, इस अधिनियम के अधीन रखे जा सकें और जहाँ समुचित तकनीकी अर्हता प्राप्त व्यक्ति, उपस्कर तथा अन्य सुविधाएं हों, किन्तु उनमें सम्मिलित नहीं होंगे—

(i) वे आश्रय, जहाँ इस अधिनियम के अधीन वे विचारणाधीनों को रखा जा सके, या

(ii) सुधार संस्था;

(ज) **'लोक स्थान'** से लोक द्वारा पहुँचने योग्य या प्रयोग के लिए आशयित कोई स्थान अभिप्रेत हो और उसके अन्तर्गत लोक वहन भी होंगे;

[(झ) **'दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी'** से अभिप्रेत है, धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त पुलिस अधिकारी];

(ञ) **'स्त्री'** से कोई नारी अभिप्रेत है; जो इक्कीस वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हो।

टिप्पणी—इस अधिनियम के अधीन अपराधों का निवारण प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है-*गुजरात राज्य* बनाम *चतुरभुज भगनलाल* ए०आई०आर० 1976 एस०सी० 1697।

—जम्मू कश्मीर पर विस्तार न रखने वाली अधिनियमितियों के अर्थान्वयन का नियम—इस अधिनियम में किसी विधि के प्रति निर्देश, जो जम्मू और कश्मीर राज्य में प्रवृत्त न हो, उस राज्य के सम्बन्ध में, का अर्थ उस राज्य में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि के प्रति निर्देश लगाया जाएगा।

3. वेश्यावृत्ति बनाए रखने अथवा परिसर को वेश्यागृह के रूप में प्रयोग करने को अनुज्ञात करने के लिए दण्ड—(1) कोई व्यक्ति जो वेश्यागृह को बनाए रखता है या प्रबन्ध करता है अथवा बनाये रखने या प्रबन्ध करने में सहायता देता है या कार्य करता है, प्रथम दोषसिद्धि पर एक वर्ष से कम और तीन वर्ष से अधिक न होने वाली अवधि के लिए कठोर कारावास से और जुर्माने से जो दो हजार रुपयों के विस्तार का हो सकेगा तथा द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, दो वर्ष से कम किन्तु पाँच वर्ष से अधिक न होने वाली अवधि के कठोर कारावास से, और जुर्माने से भी जो दो हजार रुपयों के विस्तार का हो सकेगा,दण्डनीय होगा।

(2) कोई व्यक्ति जो—

(क) किसी परिसर का किराएदार, पट्टेदार, अधिभोगी या भारसाधक व्यक्ति होते हुए, ऐसे परिसर या उसके किसी भाग को वेश्यागृह के रूप में प्रयोग करता है या जानते हुए किसी अन्य व्यक्ति को प्रयोग करना अनुज्ञात करता है, या

(ख) किसी परिवार का स्वामी, पट्टादाता या भू-स्वामी या ऐसे स्वामी पट्टादाता या भू-स्वामी का अभिकर्ता होते हुए उसे या उसके किसी भाग को इस ज्ञान के साथ कि वह या उसका कोई कोई भाग वेश्यागृह के रूप में प्रयोग किये जाने को आशयित है, देता है या ऐसे परिसर या उसके किसी भाग को वेश्यागृह के रूप में प्रयोग किए जाने में स्वेच्छया पक्षकार है,

प्रथम दोषसिद्धि पर दो वर्ष तक के विस्तार की अवधि के कारावास से और दो हजार रुपयों के विस्तार के हो सकने वाले जुर्माने से और द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में पाँच वर्ष के विस्तार तक की अवधि के हो सकने वाले कठोर कारावास से और जुर्माने से भी, दण्डनीय होगा।

[(2.क) उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए यह उपधारणा की जाएगी, जब तक उसके प्रतिकूल साबित न किया गया हो, कि उक्त धारा के खण्ड (क) या (ख) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति परिसर या उसके किसी भाग को वेश्यागृह के रूप में प्रयोग करने को जानते हुए अनुज्ञात कर रहा हो या यथास्थिति, उसे यह ज्ञान था कि परिसर या उसके किसी भाग को वेश्यागृह के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, यदि—

(क) उस क्षेत्र में जिसमें कि ऐसा व्यक्ति निवास करता है प्रसारित होने वाले समाचार-पत्र में इस आशय की रिपोर्ट प्रकाशित हुई हो कि इस अधिनियम के अधीन ली गई तलाशी के परिणामस्वरूप वह परिसर या उसका कोई भाग वेश्यागृह के लिए प्रयोग करता पाया गया; या

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट तलाशी के दौरान पाई गई सभी वस्तुओं की सूची की एक प्रति एक ऐसे व्यक्ति को दे दी गई हो।]

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, उपधारा (2) के खण्ड (ख) में निर्देशित किसी व्यक्ति की उस धारा के अपराध में दोषसिद्धि किसी परिसर या उसके किसी भाग की बाबत होने पर कोई पट्टा या करार जिसके अधीन ऐसे परिसर का पट्टा दिया गया था, या धारित की गई हो या अपराध कारित किए जाते समय दखल की गई हो, उक्त दोषसिद्धि की तारीख के प्रभाव से शून्य और असंप्रवर्तनीय हो जाएंगे।

टिप्पणी—वेश्यागृह चलाने के तथ्य को केवल एक घटना द्वारा साबित किया जा सकता है—*कृष्णमूर्ति* बनाम *लोक अभियोजक* ए०आई०आर० 1967 एस०सी० 567।

4. वेश्यावृत्ति के उपार्जन पर जीविका निर्वाह के लिए दण्ड–(1) अट्ठारह वर्ष की आयु से अधिक का कोई व्यक्ति जो जान-बूझकर किसी अन्य व्यक्ति की वेश्यावृत्ति से उपार्जित धन पर पूरी तौर पर या अंशतः जीवन-निर्वाह करता है, उसी अवधि के कारावास से जिसका विस्तार दो वर्ष तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा [और जहाँ ऐसा उपार्जन बालक या अवयस्क से सम्बन्धित हो, वह सात वर्ष से कम और दस वर्ष से अधिक न होने वाली अवधि के कारावास से दण्डनीय होगा।]

(2) जहाँ अट्ठारह वर्ष से अधिक आयु का कोई व्यक्ति–

(क) किसी वेश्या के साथ रहा हो या उसकी संगति में आभ्यासिक तौर पर हो; या

(ख) किसी वेश्या के कार्यकलापों पर ऐसी रीति में नियन्त्रण, निदेशक या असर डालने का प्रयोग करता है, जो यह दर्शित करे कि ऐसा व्यक्ति उसे वेश्यावृत्ति करने में सहायता, दुष्प्रेरित या विवश कर रहा है; या

(ग) किसी वेश्या की ओर से दलाल या कुटना के रूप में कार्य कर रहा हो;

यह उपधारणा की जाएगी, जब तक प्रतिकूल साबित न हो, कि ऐसा व्यक्ति उपधारा (1) के अभिप्रेतों में अन्य व्यक्ति के वेश्यावृत्ति के उपार्जन पर जान-बूझकर जीवन-निर्वाह कर रहा है।

टिप्पणी–इस धारा के अधीन अपराध के निवारणार्थ किसी गैर सरकारी व्यक्ति को नियोजित नहीं किया जा सकता–*कमला बाई जेठामल* बनाम *महाराष्ट्र राज्य* (1962)2 एस०सी०आर० 632।

5. वेश्यावृत्ति कराने के लिए व्यक्ति को लेना, उत्प्रेरित या उपाप्त करना–(1) कोई व्यक्ति जो–

(क) वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को, उसकी सम्मति से या उसके बिना उपाप्त करता है या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है; या

(ख) व्यक्ति को किसी स्थान को जाने को उत्प्रेरित करता है कि वह वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए वेश्यागृह की निवासी हो सके या बार-बार आ-जा सके; या

(ग) व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसके द्वारा वेश्यावृत्ति करने या उस पर वेश्यावृत्ति कराये जाने की दृष्टि से, ले जाता है या ले जाने का प्रयत्न करता है, या ले जाया जाने देता है; या

(घ) किसी व्यक्ति से वेश्यावृत्ति कराता है या उसके लिए उत्प्रेरित करता है;

[सिद्धदोष होने पर तीन वर्ष से कम और सात वर्ष से अधिक न होने वाली अवधि के कारावास और जुर्माने से भी जो दो हजार रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा तथा यदि इस धारा के अधीन कोई अपराध किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध कारित किया है तो सात वर्ष की अवधि के कारावास का दण्ड जो चौदह वर्षों की अवधि के कारावास तक विस्तृत होगा :

परन्तु यदि कोई व्यक्ति जिसकी बाबत इस उपधारा के अधीन अपराध किया गया है–

(क) बालक है, तो इस धारा के अधीन उपबन्धित दण्ड सात वर्ष से कम न होने वाली और आजीवन तक हो सकने वाली अवधि के कारावास तक बढ़ाया जाएगा; और

(ख) अवयस्क है, तो इस धारा के अधीन उपबन्धित दण्ड सात वर्ष से कम और चौदह वर्ष से अधिक न होने वाली अवधि के कठोर कारावास तक बढ़ाया जाएगा।]

(2) [विलुप्त]।

6. किसी व्यक्ति का परिसर में निरोध, जहाँ वेश्यावृत्ति की जा रही हो–(1) कोई व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को उसकी सम्मति से या उसके बिना निरुद्ध करता है–

(क) किसी वेश्यागृह में; या

(ख) किसी परिसर में या उस पर, इस आशय से कि ऐसा वह व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ जो कि उसका पति या पत्नी नहीं है, मैथुन कर सके;

[सिद्धदोष होने पर, किसी भांति के ऐसी अवधि के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी या जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा;

परन्तु न्यायालय निर्णय में वर्णित समीचीन और विशेष कारणों से, सात वर्ष से कम की अवधि से कारावास का दण्ड अधिरोपित कर सकेगा।]

[(2) जहाँ कोई व्यक्ति वेश्यागृह में बालक के साथ पाया जाए, यह उपधारणा की जाएगी, जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न किया गया हो, कि उसने उपधारा (1) के अधीन अपराध कारित किया है।

(2. क) जहाँ वेश्यागृह में पाया गया कोई बालक या अवयस्क के, चिकित्सकीय परीक्षण पर लैंगिक रूप से दुरूपयोग किया जाना पता चलता है, यह उपधारणा की जाएगी, जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न किया हो, कि बालक या अवयस्य को वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिये निरुद्ध किया गया था, या यथास्थिति, उसका वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए लैंगिक शोषण किया गया था।

(3) कोई व्यक्ति किसी स्त्री या लड़की को किसी वेश्यागृह में या अन्य किसी परिसर में किसी पुरुष से मैथुन करने के प्रयोजन से, उसके विधिमान्य पति के अतिरिक्त, निरुद्ध करने को उपधारित किया जाएगा, जब उसे, वहाँ रुके रहने को उत्प्रेरित या विवश करने के आशय से--

(क) उसका कोई आभूषण, वेश सज्जा, धन या उसकी होने वाली कोई अन्य सम्पत्ति प्रतिधारित करता है; या

(ख) उसे कानूनी कार्यवाहियों की धमकी देता है, यदि वह अपने साथ कोई आभूषण, वेश सज्जा, धन या उस व्यक्ति के निदेश द्वारा उसे दी गई या प्रदाय की गई कोई अन्य सम्पत्ति अपने साथ लेकर भाग जाती है।

(4) किसी अन्य विधि में कोई प्रतिकूल होने पर भी, ऐसी स्त्री या लडकी के विरुद्ध उस व्यक्ति के आवेदन पर जिसके द्वारा वह निरुद्ध की गई हो, कोई आभूषण, वेश सज्जा या ऐसी स्त्री या लड़की को या के लिये दी गयी या प्रदाय करने को या ऐसी स्त्री या लड़की द्वार गिरवी रखी जाने की अभिकथित किसी सम्पत्ति की वसूली के लिये या ऐसी स्त्री या लड़की द्वारा संदेय होने की अभिकथित कोई धन की वसूली के लिए, कोई अभियोजन या अन्य विधिक कार्यबाही नहीं की जायेगी।

7. लोक स्थान में या उसके आस-पास वेश्यावृत्ति--(1) कोई व्यक्ति जो वेश्यावृत्ति करता है और वह व्यक्ति जिसके साथ वेश्यावृत्ति की गई है, किसी परिसर में--

(क) जो कि उपधारा (3) के अधीन अधिसूचित क्षेत्र या क्षेत्रों के भीतर है, या

(ख) जो कि लोक धार्मिक पूजा, शिक्षण संस्था, होस्टल, चिकित्सालय, प्रसूति गृह या किसी प्रकार के ऐसे अन्य लोक स्थानों से जैसे कि इस निमित्त पुलिस आयुक्त या मजिस्ट्रेट द्वारा विहित रीति में अधिसूचित किए जाएं, दो सौ मीटर की दूरी के भीतर हो,

तीन माह के विस्तार की हो सकने वाली अवधि के कारावास से दण्डनीय होगा।

(1-क) जब उपधारा (1) के अधीन कारित अपराध बालक या अवयस्क की बाबत हो, तो अपराध कारित करने वाला व्यक्ति दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डनीय होगा जिसकी अवधि सात वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास की हो सकेगी या जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने का भी दायी होगा:

परन्तु न्यायालय निर्णय से वर्णित समीचीन और विशेष कारणों से सात वर्ष से कम की अवधि के कारावास का दण्ड अधिरोपित कर सकेगा।]

(2) कोई व्यक्ति, जो–

(क) लोक स्थान को कायम रखने वाला होते हुए जान-बूझकर वेश्याओं को उनके व्यापार के अधिगम या बने रहने के प्रयोजन के लिए करता है; या

(ख) उपधारा (1) में निर्देशित किसी परिसर का किराएदार, पट्टेदार, अधिभोगी या भारसाधक व्यक्ति होते हुए जान-बूझकर उसे या उसके किसी भाग की वेश्यावृत्ति के लिए प्रयोग करना अनुज्ञात करता है; या

(ग) उपधारा (1) में निर्देशित किसी परिसर या स्वामी, पट्टादाता या भू-स्वामी अथवा ऐसे स्वामी, पट्टादाता या भू-स्वामी का अभिकर्त्ता होते हुए यह जानते हुए कि वह या उसका कोई भाग वेश्यावृत्ति के लिए प्रयोग किया जा सकेगा, उसे या उसके किसी भाग को पट्टे या किराये पर देता है, तथा ऐसे प्रयोग में जान-बूझकर या एक पक्ष है;

प्रथम दोषसिद्धि पर तीन मास तक की अवधि के कारावास से या दो सौ रुपये तक के जुर्माने या दोनों से और द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में छः मास के विस्तार की अवधि के कारावास से और दो सौ रुपये तक के जुर्माने से भी दण्डनीय होगा [और जहाँ लोक-स्थान या परिसर होटल हो, तो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसे होटल का कारोबार करने की अनुज्ञप्ति भी तीन मास से कम न होने वाली किन्तु एक वर्ष तक की हो सकने वाली कालावधि के लिए निलम्बित की जाने की दायी होगी :

परन्तु यदि इस उपधारा के अधीन होटल में कारित अपराध बालक या अवयस्क की बाबत हो, तो ऐसी अनुज्ञप्ति रद्द किये जाने के भी दायित्वाधीन होगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "होटल" का वही अर्थ होगा जैसा कि होटल की प्राप्तियों पर कर अधिनियम, 1980 (1980 का 54) की धारा 2 के खण्ड (6) में है।]

(3) राज्य सरकार राज्य में किसी क्षेत्र में आने-जाने वाले व्यक्तियों के प्रकार का ध्यान रखते हुए, उसमें जनसंख्या की सघनता और प्रकृति तथा अन्य संगत बातों पर विचार करते हुए, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्दिष्ट कर सकेगी कि ऐसे क्षेत्रों में जैसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जा सके, वेश्यावृत्ति नहीं की जाएगी।

(4) जहाँ उपधारा (3) के अधीन किसी क्षेत्र की बाबत अधिसूचना जारी की गई हो, राज्य सरकार ऐसे क्षेत्र की परिसीमा युक्तियुक्त निश्चितताओं के साथ अधिसूचना में परिभाषित करेगी।

(5) ऐसी कोई अधिसूचना उसके जारी होने की तारीख के पश्चात् नब्बे दिन की अवधि के अवसान के पूर्व की तारीख को लागू होने के लिए जारी नहीं की जाएगी।

टिप्पणी—इस धारा के अधीन अपराध संज्ञेय है–ए०आई०आर० 1968 एस०सी० 1।

8. वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिये विलुप्त करना या याचना करना—जो कोई किसी लोक स्थान में या उसकी दृष्टि में तथा ऐसी रीति में जिससे लोक स्थान से देखा और सुना जा सके, किसी भवन या मकान से या कहीं और से–

(क) शब्दों, अंगविच्छेद, उसके शरीर के जान-बूझकर प्रदर्शन (चाहे खिड़की में या बालकनी पर बैठकर या किसी अन्य तरीके से), या अन्यथा द्वारा वेश्यावृत्ति के लिए किसी व्यक्ति को प्रलोभित करता है या प्रलोभित करने का प्रयास करता है, अथवा उसका ध्यान आकर्षित करता है; या

(ख) वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति से याचना करता है या दिक् करता है या इधर-उधर घूमता है या ऐसी रीति में कोई कार्य करता है जिससे ऐसे लोक-स्थान के समीप रहने वालों या गुजरने वालों को क्षोभ या बाधा कारित हो या लोकशिष्टता के विरुद्ध अपराध कारित हो,

प्रथम दोषसिद्धि पर छः मास तक की अवधि के कारावास से या पाँच सौ रुपयों तक के जुर्माने से या दोनों से और द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में एक वर्ष की अवधि के कारावास और पाँच सौ रुपयों तक के जुर्माने से भी दण्डनीय होगा :

[परन्तु जहाँ इस धारा के अधीन कोई अपराध किसी पुरुष द्वारा किया गया हो, तो वह सात दिन से कम न होने वाली किन्तु तीन मास तक की हो सकने वाली कालावधि के लिए कारावास से दण्डनीय होगा।]

टिप्पणी—इस धारा के अधीन लड़की द्वारा अज्ञात व्यक्ति से छेड़छाड़ करना या उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए कार्य करना दण्डनीय है–ए०आई०आर० 1966 मद्रास 312।

9. किसी व्यक्ति की अभिरक्षा में विलुप्त करना—कोई व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए विलुप्त करने का दुष्प्रेरण या सहायता करता है या कराता है, [दोषसिद्धि पर, दोनों में से किसी भाँति के ऐसी अवधि के कारावास से दण्डनीय होगा जो सात वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी तथा जुर्माने का भी दायी होगा :

परन्तु न्यायालय निर्णय में वर्णित समीचीन और विशेष कारणों से सात वर्ष से कम की अवधि के लिए कारावास का दण्ड अधिरोपित कर सकेगा।]

[(2) विलुप्त।]

10. सदाचरण की परिवीक्षा पर सम्यक् भर्त्सना पर छोड़ देना—[अधिनियम सं० 44 वर्ष 1986 की धारा 12 द्वारा दिनांक 26 जनवरी, 1987 से विलुप्त।]

10. क. सुधार संस्था में निरोध—(1) जहाँ—

(क) धारा 7 या 8 के अधीन अपराध की दोषी पायी गई नारी अपराधी;

(ख) अपराधी का चरित्र, स्वास्थ्य की दशा और मानसिक स्थिति तथा मामले की अन्य परिस्थितियाँ ऐसी हों कि यह समीचीन है कि उसे ऐसे अनुदेशों, अनुशासन और ऐसे निबन्धनों के अध्यधीन निरुद्ध किया जाए, जैसा कि उसके सुधार के लिए साधक हों,

न्यायालय को कारावास दण्ड के बदले सुधार संस्था में ऐसी अवधि के लिए, दो वर्ष से कम न होने वाले पाँच वर्ष से अधिक न होने वाले, निरोध का आदेश पारित करना विधिमान्य होगा :

परन्तु ऐसा आदेश पारित करने के पूर्व—

(i) न्यायालय अपराधी को सुनवाई का अवसर देगा और किसी अभ्यावेदन पर, जो अपराधी ऐसी संस्था में व्यवहार के लिए मामले की उपयुक्तता के बारे में न्ययालय को कर सके और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के अधीन नियुक्त परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर भी विचार करेगा; और

(ii) न्यायालय यह अभिलिखित करेगा कि उसका समाधान हो गया कि अपराधी का चरित्र, स्वास्थ्य की दशा और मानसिक स्थिति तथा मामले की अन्य परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि अपराधी को यथापूर्वोक्त अनुशासन और ऐसे आदेशों से लाभ होने की सम्भावना है।

(2) उपधारा (3) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अपील, निर्देश और पुनरीक्षण तथा परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) की कालावधि, जिसमें अपील फाइल की जायेगी, से सम्बन्धित उपधारा (1) के अधीन निरोध के आदेश पर लागू होंगे, जैसे कि यदि आदेश उसी कालावधि के कारावास के दण्ड का होना जैसी अवधि के लिए निरोध के लिए आदेश हो।

(3) ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए जैसे इस निमित्त बनाये जाएं, राज्य सरकार या इस निमित्त प्राधिकृत प्राधिकारी सुधार संस्था में निरोध के लिए आदेश की तारीख से छह मास के अवसान के पश्चात् किसी भी समय, यदि उसका समाधान हो जाए कि ऐसी युक्तियुक्त सम्भावना है कि अपराधी लाभप्रद और उद्यमी जीवन बितायेगा, उसे बिना शर्त या ऐसी शर्तों सहित, जैसी उचित समझे, ऐसी संस्था से उन्मुक्त कर सकेगा और उसे यथाविहित प्ररूप में लिखित अनुज्ञप्ति मंजूर करेगा।

(4) शर्तों, जिन पर उपधारा (3) के अधीन अपराधी उन्मुक्त किया गया है, में अपराधी के निवास और अपराधी के क्रियाकलापों और गतिविधियों पर पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में अपेक्षाएं सम्मिलित हो सकेंगी।

11. पूर्वतन दोषसिद्ध अपराधियों के पतों की अधिसूचना—जब कोई व्यक्ति—

(क) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 365, धारा 366, धारा 366–क, धारा 366– ख, धारा 367, धारा 368, धारा 370 या धारा 371, धारा 372 या धारा 373 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए भारत में किसी न्यायालय द्वारा दो वर्ष या अधिक की अवधि के कारावास से; या

(ख) किसी अन्य देश में न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी अपराध का जो यदि भारत में कारित किया गया होता, इस अधिनियम या उपरिवर्णित धाराओं में से किसी के अधीन उस अवधि के कारावास से दण्डनीय होता,

दोषसिद्ध किया गया हो, यदि कारागार से मुक्ति के पश्चात् पाँच वर्ष की कालावधि के भीतर इस अधिनियम के अधीन या उन धाराओं में से किसी के अधीन न्यायालय द्वारा दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए पुनः दोषसिद्ध किया गया हो तो ऐसा न्यायालय, यदि उचित समझे, ऐसे व्यक्ति पर कारावास का दंड पारित करते समय यह आदेश भी कर सकेगा कि उसका निवास तथा ऐसे निवास के किसी परिवर्तन या अनुपस्थिति, छोड़े जाने के पश्चात् धारा 23 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में, दण्डादेश के अवसान की तारीख से पाँच वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए अनुसूचित किया जाएगा।

(2) यदि ऐसी दोषसिद्धि अपील में या अन्यथा अपास्त हो जाती है, ऐसा आदेश शून्य हो जाएगा।

(3) इस धारा के अधीन कोई आदेश अपील न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते समय भी किया जा सकता है।

(4) उपधारा (1) में निर्देशित किसी नियम का भंग करने का आरोपित किया व्यक्ति का जिले में सक्षम अधिकारिता प्राप्त मजिस्ट्रेट द्वारा, जिसमें कि उसके निवास के रूप में अन्तिम बार अधिसूचित निवास स्थित हो, विचारण किया जाएगा।

12. आभ्यासिक अपराधियों से सदाचरण के लिए प्रतिभूति—(1) अधिनियम क्रमांक 44, सन् 1986 की धारा 12 द्वारा यह धारा विलुप्त की गई। उक्त अधिनियम दिनांक 26 जनवरी, 1987 से लागू हुआ।

13. विशेष पुलिस अधिकारी और सलाहकार निकाय—(1) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए गए प्रत्येक क्षेत्र के लिए उस क्षेत्र में इस अधिनियम के अधीन अपराधों से संव्यवहार करने के लिए सरकार या उसकी ओर से विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।

(2) विशेष पुलिस अधिकारी के निरीक्षक की पंक्ति से कम श्रेणी का नहीं होगा।

(2-क) जिला मजिस्ट्रेट यदि वह ऐसा करना आवश्यक और समीचीन समझे, इस अधिनियम के अधीन विशेष पुलिस अधिकारी के प्रदत्त शक्तियों में से सभी या किन्हीं विशिष्टियों, मामलों के वर्गों, या सामान्य रूप से मामलों की बाबत, रिटायर्ड पुलिस या सैनिक अधिकारी को प्रदत्त कर सकेगा :

परन्तु ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं की जाएगी, जहाँ—

(क) रिटायर्ड पुलिस अधिकारी, जब तक कि ऐसा अधिकारी रिटायरमेंट के समय निरीक्षक से कम की पंक्ति का अधिकारी न रहा हो;

(ख) रिटायर्ड सैनिक अधिकारी, जब तक ऐसा अधिकारी रिटायरमेट के समय आयोग प्राप्त अधिकारी की पंक्ति से कम का धारक न रहा हो।

(3) इस अधिनियम के अधीन अपराधों के संबंध में अपने कर्त्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन के लिए–

(क) क्षेत्र के विशेष पुलिस अधिकारी की सहायता के लिए ऐसी संख्या में अधीनस्थ पुलिस अधिकारी (जहाँ साध्य हो महिला पुलिस अधिकारी को सम्मिलित करते हुए) होंगे, जैसे राज्य सरकार उचित समझे; और

(ख) राज्य सरकार विशेष पुलिस अधिकारी से, क्षेत्र के मुख्य सामाजिक कल्याण कार्यकर्ताओं से युक्त पांच सदस्यों से अनधिक के अशासकीय सलाहकार निकाय को (जहाँ साध्य को नारी समाज कल्याण कार्यकर्ताओं को सम्मिलित करते हुए) उसे इस अधिनियम के कार्यकारण से सम्बन्धित सामान्य महत्त्व के प्रश्नों पर सलाह देनें को, सहयुक्त कर सकेगा।

(4) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के अधीन या व्यक्तियों के लैंगिक शोषण से व्यवहार करने वाली तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के अधीन और एक से अधिक राज्यों में कारित किसी अपराध का अन्वेषण करने के प्रयोजनों के लिए ऐसी संख्या में पुलिस अधिकारियों को दुर्व्यापार पुलिस अधिकारियों को नियुक्त कर सकेगी और वे, इस उपान्तरण के साथ कि उनके द्वारा ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वचन सम्पूर्ण भारत में किया जाएगा, उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और कृत्यों का निर्वहन करेंगे, जैसी इस अधिनियम के अधीन विशेष पुलिस अधिकारी द्वारा प्रयोग किया जाता है।

14. अपराधों का संज्ञेय होना–दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में कोई बात अन्तर्विष्ट होने पर भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध उस संहिता के अभिप्रायों में संज्ञेय अपराध होगा :

परन्तु उस संहिता में अन्तर्विष्ट कोई बात न होने पर–

(i) बिना वारण्ट गिरफ्तारी केवल विशेष पुलिस अधिकारी अथवा उसके निदेशों या मार्गदर्शन के अधीन अथवा उसके पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन ही की जा सकेगी;

(ii) जब विशेष पुलिस अधिकारी उसके अधीन किसी अधिकारी से, इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए किसी व्यक्ति को उसकी उपस्थिति से अन्यथा, अपेक्षा करे वह गिरफ्तार किए जाने वाले किसी व्यक्ति और गिरफ्तारी किए जाने के अपराध को विनिर्दिष्ट करते हुए अधीनस्थ अधिकारी को लिखित में आदेश देगा और पश्चात्कथित अधिकारी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के पूर्व आदेश के सार से उसे सूचित करेगा और ऐसे व्यक्ति द्वारा अपेक्षा करने पर आदेश उसे दिखाएगा।

(iii) विशेष पुलिस अधिकारी द्वारा विशेषतया प्राधिकृत उप-निरीक्षक की पंक्ति से कम न होने वाला कोई पुलिस अधिकारी, यदि उसे विश्वास करने के कारण हों कि विशेष पुलिस अधिकारी का आदेश अभिप्राप्त करने में अन्तर्वलित विलम्ब के कारण इस अधिनियम के अधीन अपराध की कोई मूल्यवान् साक्ष्य विनष्ट करने या छुपाने की सम्भावना है और व्यक्ति जिसने अपराध कारित किया है या कारित करने का संदेह है, के भाग निकलने की सम्भावना है अथवा यदि ऐसे व्यक्ति का नाम और पता असत्य दिया गया है, सम्बन्धित व्यक्ति को बिना ऐसे आदेश के गिरफ्तार करेगा किन्तु ऐसे मामले में वह विशेष पुलिस अधिकारी को ऐसी गिरफ्तारी और गिरफ्तार करने की परिस्थितियों की रिपोर्ट यथाशीघ्र देगा।

15. बिना वारण्ट के तलाशी—(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में कोई बात अन्तर्विष्ट होने पर भी जब कभी विशेष पुलिस अधिकारी, [या दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी यथास्थिति] को यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हों कि इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किसी परिसर में रह रहे किसी व्यक्ति की बाबत कारित हुआ है या हो रहा है और वारंट के साथ परिसर की तलाशी बिना अनुचित विलम्ब के नहीं की जा सकती है, तो ऐसा अधिकारी उसके विश्वास करने के कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् ऐसे परिसर में बिना वारंट के प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन तलाशी लेने के पूर्व विशेष पुलिस अधिकारी [या दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी, यथास्थिति] उस परिक्षेत्र के, जिसमें तलाशी लिए जाने वाला स्थान स्थित है, दो या अधिक सम्मानित निवासियों को (जिनमें कम से कम एक महिला होगी) तलाशी के समय उपस्थित रहने और साक्षी होने को बुलाएगा और वैसा करने को उनको या उनमें से किसी को लिखित में आदेश जारी कर सकेगा :

परन्तु परिक्षेत्र के जिसमें तलाशी लिया जाने वाला स्थान स्थित है, सम्माननीय निवासियों के बारे में अपेक्षा, तलाशी में उपस्थित रहते और साक्षी होने को किसी महिला को लागू नहीं होगी।

(3) कोई व्यक्ति जो बिना युक्तियुक्त हेतुक के इस धारा के अधीन तलाशी, में जब वैसा करने का लिखित में आदेश उसे परिदत्त या निविदत्त किया हो, उपस्थित रहने और साक्षी होने में उपेक्षा करता है या इन्कार करता है; भारतीय दण्ड संहिता की धारा 187 के अधीन अपराध कारित करने वाला समझा जाएगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन किसी परिसर में प्रवेश कर रहा विशेष पुलिस अधिकारी या दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी, यथास्थिति उसमें पाए गए सभी व्यक्तियों को वहाँ से हटाए जाने का हकदार होगा।]

(5) विशेष पुलिस अधिकारी उपधारा (4) के अधीन हटाए गए व्यक्ति को तत्काल समुचित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा।

(5-क) किसी व्यक्ति का, जिसे उपधारा (5) के अधीन मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया हो, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा ऐसे व्यक्ति की आयु अवधारित करने के प्रयोजन के लिए या, लैंगिक दुरुपयोग के परिणामस्वरूप किसी क्षति का पता चलाने के लिए या किसी लैंगिकता पारेषित रोग की मौजूदगी के लिए परीक्षण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी का वही अर्थ होगा जैसा कि भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) में है।]

(6) विशेष पुलिस अधिकारी [या दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी, यथास्थिति] और तलाशी में भाग ले रहे या उपस्थित रहे साक्षी व्यक्ति, तलाशी के प्रयोजन के लिए या उससे संबंधित की गई किसी विधिपूर्ण बात की बाबत अपने विरुद्ध किसी सिविल या दांडिक कार्यवाही के दायित्वाधीन नहीं होंगे।

[(6-क) विशेष पुलिस अधिकारी या दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी, यथास्थिति, के साथ इस धारा के अधीन तलाशी लेते समय कम से कम दो महिला पुलिस अधिकारी होंगी और जब उपधारा (4) के अधीन हटाई गई किसी स्त्री या लड़की से पूछताछ किया जाना हो तो यह महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही किया जाएगा और यदि कोई महिला पुलिस अधिकारी उपस्थित न हो तो पूछताछ केवल मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन की महिला सदस्य की उपस्थिति में ही की जा सकेगी।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा और धारा 17-क के प्रयोजनों के लिए, ''मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन'' से अभिप्रेत है, ऐसी संस्था या संगठन जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त मान्यता प्राप्त हो।

(7) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंध, जहाँ तक हो सके, इस धारा के अधीन किसी तलाशी पर लागू होंगे, जैसे वे उस संहिता की धारा 94 के अधीन जारी किए गए वारंट के प्राधिकारी के अधीन की गई किसी तलाशी पर लागू होते हैं।

टिप्पणी—इस धारा के अधीन तलाशी करते समय कारणों का उल्लेख किया जाना चाहिए—*राधा बाई* बनाम *गुजरात राज्य* ए०आई०आर० 1970 एस०सी० 1391।

16. किसी व्यक्ति को छुड़ाया जाना–(1) जहाँ मजिस्ट्रेट पुलिस से या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति से या अन्यथा प्राप्त सूचना पर यह विश्वास करने के कारण हों, कि [कोई व्यक्ति वेश्यागृह में रह रहा है या वेश्यावृत्ति कर रहा है या करने के लिए बनाया जा रहा है,] तो उप-निरीक्षक की पंक्ति से कम न होने वाले पुलिस अधिकारी को ऐसे वेश्यागृह में प्रवेश करने और वहां ऐसे व्यक्ति को हटाने और उसके समक्ष पेश करने का निदेश दे सकेगा।

(2) पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को हटाने के पश्चात् तत्काल उसे आदेश जारी करने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा।

17. धारा 15 के अधीन हटाए गए और धारा 16 के अधीन छुड़ाए गए व्यक्तियों की मध्यान्तरिक अभिरक्षा–(1) विशेष पुलिस अधिकारी धारा 15 की उपधारा (4) के अधीन किसी व्यक्ति को हटाता है या पुलिस अधिकारी धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को छुड़ाता है, किसी कारण से धारा 15 की उपधारा (5) द्वारा यथा-अपेक्षित समुचित मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन आदेश जारी करने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने में असमर्थ हो, वह उसे तत्काल निकटतम किसी वर्ग के मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा, जो उसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जब तक कि वह समुचित मजिस्ट्रेट या, यथास्थिति आदेश जारी करने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए, ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जैसे वह उचित समझे :

परन्तु कोई व्यक्ति–

(i) इस उपधारा के अधीन आदेश की तारीख से दस दिवस से अधिक की कालावधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं किया जाएगा;

(ii) किसी व्यक्ति की अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा या प्रत्यावर्तित नहीं किया जाएगा, जो इस पर हानिकर असर का प्रयोग कर सके।

(2) जब वह व्यक्ति धारा 15 की उपधारा (5) के अधीन समुचित मजिस्ट्रेट या धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन आदेश जारी करने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए, वह उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन प्राप्त सूचना की सत्यता, व्यक्ति की आयु, चरित्र और पूर्ववृत्त तथा उसका प्रभार लेने को उसके माता-पिता, संरक्षक या पति की उपयुक्तता तथा असर की प्रकृति, जो यदि उसे गृह भेजा जावे तो उसके गृह की दशा उस पर डाल सके, के बारे में जाँच कराएगा और इस प्रयोजन के लिए वह अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (1958 का 20) के अधीन नियुक्त परिवीक्षा अधिकारी को उपरोक्त परिस्थितियों और उस व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके पुनर्वास के पर्यवेक्षण की जाँच करने का निदेश दे सकेगा।

(3) मजिस्ट्रेट, जब किसी मामले में उपधारा (2) के अधीन जाँच की जा चुकी हो, उस व्यक्ति की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उचित समझने वाले आदेश पारित कर सकेगा :

[परन्तु जहाँ धारा 16 के अधीन छुड़ाया गया व्यक्ति, अवयस्क या बालक हो, तो मजिस्ट्रेट ऐसे बालक या अवयस्क को बालकों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी बाल अधिनियम के अधीन स्थापित या मान्यता प्राप्त किसी संस्था में रख सकेगा :

परन्तु यह और कि इस प्रयोजन के लिए कोई व्यक्ति] से आदेश की तारीख से तीन सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा और कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति की अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा जो उस पर हानिकर असर डालने को सम्भाव्य हो.

(4) जहां कोई मजिस्ट्रेट उपधारा (2) के अधीन की गई जाँच से सन्तुष्ट हो जाता है कि–

(क) प्राप्त सूचना सही है, और

(ख) उसे संरक्षण और देख-रेख की आवश्यकता है,

वह उपधारा (5) के उपबन्धों के अध्यधीन, आदेश कर सकेगा कि ऐसे व्यक्ति को एक वर्ष से कम और तीन वर्ष से अधिक न होने वाली ऐसी कालावधि के लिए, जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट हो, संरक्षण गृह में या ऐसी अन्य अभिरक्षा में, जैसी लिखित में अभिलिखित कारणों के लिए वह उपयुक्त समझे, निरुद्ध किया जाए :

परन्तु ऐसी अभिरक्षा, ऐसे व्यक्ति से भिन्न धार्मिक, अनुगामी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय की नहीं होगी तथा वे, जो उस व्यक्ति की अभिरक्षा में व्यस्त हों, संरक्षण गृह के भारसाधक व्यक्ति को सम्मिलित करते हुए, जहाँ आवश्यक और साध्य हो ऐसे व्यक्ति की उचित देख-रेख, संरक्षकता, शिक्षा प्रशिक्षण और चिकित्सकीय तथा शारीरिक उपचार के वचनबन्ध से युक्त बन्धपत्र में प्रवेश करने को अपेक्षित किए जा सकेंगे और न्यायालय द्वारा नियुक्त व्यक्ति के पर्यवेक्षण में भी होंगे, जो तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि में प्रवृत्त रहेगा।

(5) उपधारा (2) के अधीन कृत्यों का पालन करने वाला मजिस्ट्रेट उसे सहायता करने को पाँच सम्मानित व्यक्तियों का पैनल सम्मन कर सकेगा, जिसमें जहाँ साध्य हो, तीन स्त्रियाँ होंगी और इस प्रयोजन के लिए, स्त्रियों और लड़कियों के अनैतिक व्यापार के दमन के क्षेत्र में अनुभवी सामाजिक कल्याण कार्यकर्ताओं की एक सूची रख सकेगा।

(6) उपधारा (4) के अधीन किए गए किसी आदेश के विरुद्ध अपील सत्र-न्यायालय को हो सकेगी, जिसका निर्णय ऐसी अपील पर अन्तिम होगा।

[17-क. धारा 16 के अधीन छुड़ाए गए व्यक्तियों के माता-पिता या संरक्षक के पास रखे जाने के पूर्व पालन की जाने की शर्तें–धारा 17 की उपधारा (2) में किसी बात के होने पर भी, धारा 17 के अधीन जाँच कर रहा मजिस्ट्रेट, धारा 16 के अधीन छुड़ाए गए किसी व्यक्ति को माता-पिता, संरक्षक या पति को सौंपने के लिए आदेश पारित करने के पूर्व, माता-पिता, संरक्षक या पति को ऐसे व्यक्ति को रखने की क्षमता और असलियत के बारे में स्वयं का समाधान करने को मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन द्वारा अन्वेषण कराएगा।]

18. वेश्यागृहों का बन्द किया जाना और अपराधियों की परिसर से बेदखली–(1) मजिस्ट्रेट पुलिस से या अन्यथा सूचना प्राप्त होने पर कि धारा 7 की उपधारा (1) में निर्देशित किसी लोक स्थान से दो सौ मीटर की दूरी के भीतर कोई मकान, कक्ष, स्थान या उसका कोई भाग किसी व्यक्ति द्वारा वेश्यागृह चलाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है या वेश्याओं द्वारा उनका व्यापार करने के लिए ऐसे मकान, स्थान या भाग के स्वामी, पट्टादाता या भू-स्वामी अथवा स्वामी, पट्टादाता या भूस्वामी के अभिकर्त्ता या किरायेदार, पट्टेदार या अधिभोगी या ऐसे मकान, कक्ष, स्थान या भाग के भारसाधक व्यक्ति को सात दिन में हेतुक दर्शित करने का नोटिस जारी करेगा कि क्यों न उसे अनुचित प्रयोग के लिए कुर्क कर ली जाए और यदि संबंधित व्यक्ति को सुने जाने के पश्चात् मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाए कि वह मकान, कक्ष, स्थान या भाग वेश्यागृह के रूप में या वेश्यावृत्ति करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, मजिस्ट्रेट आदेश पारित कर सकेगा–

(क) मकान, कक्ष, स्थान या भाग के आदेश की तारीख से सात दिवस के भीतर अधिभोगी की बेदखली का निदेश देते हुए;

(ख) निदेश देते हुए कि आदेश पारित करने के पश्चात् तुरन्त एक वर्ष की कालावधि के दौरान [या उस दशा में, जहाँ कि धारा 15 के अधीन ली गई तलाशी के दौरान, ऐसे मकान, कक्ष, स्थान या भाग में, बालक या अवयस्क पाया गया हो तो तीन वर्षों की कालावधि के दौरान] उसे किराये पर देने के पूर्व स्वामी, पट्टादाता या भू-स्वामी अथवा स्वामी, पट्टादाता या भू-स्वामी का अभिकर्त्ता का पूर्वानुमोदन प्राप्त करेगा :

परन्तु मजिस्ट्रेट का यह निष्कर्ष हो कि स्वामी, पट्टादाता या भू-स्वामी और भली-भाँति स्वामी, पट्टादाता या भू-स्वामी का अभिकर्त्ता मकान, कक्ष, स्थान या भाग के अनुचित प्रयोग से अनभिज्ञ था, वह उसे स्वामी, पट्टादाता या भू-स्वामी अथवा स्वामी, पट्टादाता या भू-स्वामी के अभिकर्त्ता को इस निदेश के साथ प्रत्यावर्तित कराएगा कि मकान, कक्ष, स्थान या भाग किसी व्यक्ति को लाभ के लिए किराए से, या अन्यथा कब्जे में नहीं देगा, जो उसमें अनुचित प्रयोगकर्त्ताओं को अनुज्ञात करता था।

(2) धारा 3 या धारा 7 के अधीन किसी अपराध में व्यक्ति को दोषसिद्ध करने वाला न्यायालय उपधारा (1) के अधीन ऐसे व्यक्ति को उस उपधारा द्वारा यथा-अपेक्षित हेतुक दर्शित करने का नोटिस दिए बिना भी, आदेश पारित कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपील के अध्यधीन नहीं होंगे और सिविल, या दंड, किसी न्यायालय द्वारा अपास्त या स्थगित नहीं किए जाएंगे तथा उक्त आदेश एक वर्ष या यथास्थिति, तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् विधिमान्य नहीं रहेंगे :

परन्तु जहाँ धारा 3 या धारा 7 के अधीन की गई दोषसिद्धि अपील में इस आधार पर अपास्त कर दी जाती है, कि ऐसा मकान, कक्ष, स्थान, या भाग वेश्यागृह के रूप में नहीं चल रहा है या प्रयोग किया गया है अथवा वेश्याओं द्वारा अपने व्यापार के लिए प्रयोग किया गया है, उपधारा (1) के अधीन विचरण न्यायालय द्वारा पारित कोई आदेश भी अपास्त हो जाएगा।

(4) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि से कोई बात अन्तर्विष्ट होने पर भी, जब उपधारा (1) के अधीन मजिस्ट्रेट आदेश पारित करता है या उपधारा (2) के अधीन न्यायालय आदेश पारित करता है, कोई पट्टा या करार जिसके अधीन कमरा, कक्ष, स्थान या भाग या भोगी अधिभोग में हो, उस समय शून्य और असंप्रवर्तनीय होगा।

(5) जब कोई स्वामी पट्टादाता या भू-स्वामी अथवा स्वामी, पट्टादाता, भू-स्वामी का अभिकर्त्ता उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन दिए गए निदेश का पालन करने में असफल रहता है, वह पाँच सौ रुपए तक के हो सकने वाले जुर्माने से दंडनीय होगा अथवा जहाँ वह उस उपधारा के परन्तुक के अधीन निदेश का अनुपालन करने में सफल होता है, वह धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ख) या धारा 7 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन अपराध कारित करने का दोषी समझा जाएगा और यथास्थिति तदनुसार दंडनीय होगा।

टिप्पणी—इस धारा के प्रावधान निवारक हैं और इसके अधीन जांच की प्रकृति संक्षिप्त है—*एस०डी०एम० दिल्ली* बनाम *रामकली* ए०आई०आर० 1968 एस०सी० 1।

19. संरक्षण गृह में रखे जाने के लिए या न्यायालय द्वारा संरक्षण और देखभाल उपबन्धित करने के लिए आवेदन—(1) कोई व्यक्ति जो वेश्यावृत्ति कर रहा हो या करने के लिए बनाया गया हो, मजिस्ट्रेट को, जिसकी स्थानीय अधिकारिता में वह वेश्यावृत्ति कर रहा है या करने के लिए बनाया गया है, आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा कि उसे—

(क) संरक्षण गृह में रखा जाए, या

(ख) उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट रीति में न्यायालय द्वारा संरक्षण और देखभाल उपबन्धित कराई जाए।

(2) मजिस्ट्रेट उपधारा (3) के अधीन जाँच लम्बित रहते हुए निदेश दे सकेगा कि उस व्यक्ति को ऐसी अभिरक्षा में रखा जाए जैसी कि वह मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित समझे।

(3) यदि मजिस्ट्रेट, आवेदक को सुने जाने के पश्चात् और आवेदक के व्यक्तित्व, गृह की दशाओं और पुनर्वास के सर्वेक्षण के बारे में ऐसी जाँच, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (1958 का 20) के अधीन नियुक्त परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जाँच को सम्मिलित करते हुए, करेगा जैसी वह आवश्यक समझे और यह समाधान हो जाए कि इस धारा के अधीन आदेश किया जाना चाहिए अभिलिखित कारणों के लिए आदेश करेगा कि आवेदक को—

(i) संरक्षण गृह में; या

(ii) सुधार संस्था में; या

(iii) मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त व्यक्ति के पर्यवेक्षण में,

ऐसी कालावधि के लिए रखा जावे, जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट हो सके।

20. वेश्याओं को किसी स्थान से हटाया जाना–(1) मजिस्ट्रेट यह सूचना प्राप्त होने पर कि कोई व्यक्ति उसकी स्थानीय अधिकारिता में के किसी स्थान पर निवास कर रहा है या बार-बार आता-जाता है जो वेश्या है, तो प्राप्त सूचना का सार अभिलिखित करते हुए और ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होकर हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए एक नोटिस देगा कि क्यों न उसे उस स्थान से हटाने और पुनः प्रवेश प्रतिषिद्ध करने की अपेक्षा की जाए?

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी प्रत्येक नोटिस के साथ उपरोक्त अभिलेख की एक प्रति उस व्यक्ति पर तामील की जाएगी जिस व्यक्ति के विरुद्ध नोटिस जारी किया गया हो।

(3) मजिस्ट्रेट उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट नोटिस की तामील के पश्चात् प्राप्त की गई सूचना के सत्य होने के बारे में जाँच की कार्यवाही करेगा और उस व्यक्ति को साक्ष्य देने का अवसर प्रदान करने के बाद ऐसी और साक्ष्य लेगा, जो वह उचित समझे, और यदि ऐसी जाँच के बाद उसे यह प्रतीत हो कि ऐसा व्यक्ति वेश्या है और सामान्य जनता के हित में यह आवश्यक है कि ऐसे व्यक्ति से स्वयं को उस स्थान से हटाने की अपेक्षा और उसके पुनः प्रवेश करने को प्रतिषिद्ध किया जाना चाहिए, तो मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को लिखित में संसूचित आदेश द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट रीति से, उससे ऐसी तारीख के पश्चात् (आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए), जो आदेश की तारीख से सात दिवस से कम की न होगी, स्वयं को ऐसे स्थान को, चाहे उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमा में हो या नहीं, ऐसे मार्ग द्वारा और स्थान में पुनः प्रवेश से भी, ऐसे स्थान पर अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा के बिना, प्रतिषिद्ध करेगा।

(4) जो कोई–

(क) इस धारा के अधीन जारी आदेश का अनुपालन उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर करने में असफल रहता है या जब उसे किसी स्थान में बिना अनुज्ञा के पुनः प्रवेश को प्रतिषिद्ध करने वाला आदेश प्रवृत्त हो, ऐसी अनुज्ञा के बिना स्थान में पुनः प्रवेश करता है, या

(ख) यह जानते हुए कि कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन स्वयं को स्थान से हटाने के लिए अपेक्षित किया जा चुका है और उसने वहाँ पुनः प्रवेश के लिए आज्ञा प्राप्त नहीं की है, स्थान में किसी ऐसे व्यक्ति को संश्रय देना है या छुपाता है।

जुर्माने से जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा और निरन्तर अपराध की दशा में ऐसे और जुर्माने से जो प्रथम के पश्चात् उसके अपराध में लगातार रहने के दौरान पच्चीस रुपए प्रतिदिन का हो सके, दंडनीय होगा।

टिप्पणी–इस धारा के अधीन अधिरोपित निर्बन्धन युक्तियुक्त है–*उ०प्र० राज्य* बनाम *कौशल्या* ए०आई०आर० 1964 एस०सी० 416।

21. संरक्षक गृह और सुधार संस्थाएँ–(1) राज्य सरकार उसके विवेक से उतने संरक्षण गृह और सुधार संस्थाएँ इस अधिनियम के अधीन स्थापित कर सकती है, जितने वह उचित समझे और ऐसे संरक्षण गृह और सुधार संस्थाएँ ऐसी रीति में अनुरक्षित की जाएंगी, जो विहित की जाएं।

(2) राज्य सरकार के अतिरिक्त कोई व्यक्ति या प्राधिकारी इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा इस धारा के अधीन जारी अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसरण या अधीन के सिवाय, कोई संरक्षण गृह या सुधार संस्था स्थापित और अनुरक्षित नहीं करेगा।

(3) राज्य सरकार किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त आवेदन करने पर ऐसे व्यक्ति का प्राधिकारी को निहित प्रारूप में संरक्षण गृह या सुधार संस्था के स्थापन और अनुरक्षण या यथास्थिति, अनुरक्षण के लिए अनुवधि जारी कर सकेगी और इस प्रकार जारी अनुज्ञप्ति में ऐसी शर्तें अन्तर्विष्ट की जा सकेगी, जैसी राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों, के अनुसरण में अधिरोपित करना उचित समझें :

परन्तु ऐसी कोई शर्त अपेक्षा कर सकेगी कि संरक्षण गृह या सुधार संस्था के प्रबंध में, जहाँ साध्य हो महिलाएँ न्यस्त होंगी :

परन्तु यह और भी कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय कोई संरक्षण गृह अनुरक्षित कर रहा व्यक्ति या प्राधिकारी ऐसे प्रारम्भ से छह मास की कालावधि के लिए अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने को अनुज्ञेय होगा :

परन्तु यह भी कि स्त्री और लड़की अनैतिक व्यापार दमन (संशोधन) अधिनियम, 1978 के प्रारम्भ पर कोई सुधार संस्था अनुरक्षित कर रहा, व्यक्ति या प्राधिकारी, ऐसे प्रारम्भ से छह मास की कालावधि के लिए अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने को अनुज्ञात होगा।

(4) अनुज्ञप्ति जारी करने के पूर्व राज्य सरकार ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी से, जैसा इस प्रयोजन के लिए वह नियुक्त करे, इस निमित्त प्राप्त आवेदन के बारे में सम्पूर्ण और विस्तृत अन्वेषण करने और ऐसे अन्वेषणों को उसे रिपोर्ट देने की उपेक्षा कर सकेगी तथा अधिकारी या प्राधिकारी ऐसा अन्वेषण करने में ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे जैसी विहित की जाए।

(5) कोई अनुज्ञप्ति, जब तक कि वह पूर्व में प्रतिसंहृत न की गई हो, अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए प्रवृत्त रहेगी और उसके अवसान की तारीख से कम से कम तीस दिन पहले इस निमित्त आवेदन करने पर उतनी ही कालावधि के लिए नवीकृत की जा सकेगी।

(6) इस अधिनियम के अधीन जारी या नवीकृत कोई अनुज्ञप्ति अन्तरणीय होगी।

(7) जहाँ कोई व्यक्ति या अधिकारी जिसे इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति मंजूर की गई हो या ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी का कोई अभिकर्त्ता या सेवक उसकी शर्त या इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम को भंग कारित करता है अथवा जहाँ राज्य सरकार किसी संरक्षण गृह या सुधार संस्था की दशा, प्रबन्ध और अधीक्षक से सन्तुष्ट न हो तो राज्य सरकार अन्य किसी शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो इस अधिनियम के अधीन उपगत हो सके, लिखित में आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण कर सकेगी :

परन्तु ऐसा कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि अनुज्ञप्ति के धारक को हेतुक दर्शित करने का अवसर न दिया जाए कि क्यों न उसकी अनुज्ञप्ति प्रतिसंहृत न कर ली जाए।

(8) जहाँ संरक्षण गृह या सुधार संस्था के बारे में कोई अनुज्ञप्ति पूर्वगामी उपधारा के अधीन प्रतिसंहृत कर ली गई हो ऐसी संरक्षण गृह या सुधार संस्था, ऐसे प्रतिसंहरण की तारीख के कृत्यों को करने से प्रविरत हो जाएंगे।

(9) राज्य सरकार इस निमित्त बनाए जा सकने वाले नियमों के अध्यधीन भी इस अधिनियम के अधीन जारी या स्वीकृत किसी अनुज्ञप्ति को संशोधित या फेरफारित कर सकेगी।

(9-क) राज्य सरकार इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत इस निमित्त बनाए जा सकने वाले नियमों के अध्यधीन, संरक्षण गृह के वासी के किसी अन्य संरक्षण गृह में या दूसरी सुधार संस्था में अथवा किसी सुधार संस्था के वासी को दूसरी सुधार संस्था में या संरक्षण गृह में अन्तरण कर सकेगी, जहाँ ऐसी अन्तरण अन्तरित किए जाने वाले, व्यक्ति के आचरण, उसे दिए जाने वाले प्रशिक्षण और मामले की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वांछनीय समझा जाए :

परन्तु यह कि–

(क) इस धारा के अधीन अन्तरित कोई व्यक्ति गृह या संस्था में उस कालावधि से अधिक रुकने को अपेक्षित नहीं किया जाएगा, जिनमें वह अन्तरित किया गया है, जितनी कि वह उस गृह या संस्था में, जिससे वह अन्तरित किया गया है, रुकने को अपेक्षित था।

(ख) इस उपधारा के अधीन अन्तरण के प्रत्येक आदेश के लिए कारण अभिलिखित किए जाएंगे।

(10) जो कोई, इस धारा के उपबंधों के अनुसरण में के सिवाय संरक्षण गृह या सुधार संस्था स्थापित करता है या अनुरक्षित करता है, प्रथम उपधारा के मामले में जुर्माने से जो एक हजार रुपए का हो सकेगा तथा द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के मामले में कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष हो सकेगी या जुर्माने से, दो हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा।

21-क. अभिलेख पेश करना—प्रत्येक व्यक्ति या प्राधिकारी, जो धारा 21 की उपधारा (3) के अधीन संरक्षण गृह या सुधार संस्था स्थापित या अनुरक्षित करने को अनुज्ञात है या अनुरक्षित कर रहा है, जब कभी न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाए, ऐसे गृह या संस्था द्वारा बनाए रखे गए अभिलेख या अन्य दस्तावेज ऐसे न्यायालय के समक्ष पेश करेगा।]

22. विचारण—महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवर न होने वाला कोई न्यायालय धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 6 और धारा 7 या धारा 8 के अधीन किसी अपराध का विचारण करेगा।

22-क. विशेष न्यायालय स्थापित करने की शक्ति—(1) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि किसी जिले में या महानगर में इस अधिनियम के अधीन अपराधों का तीव्रगति से विचारण करने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक है, वह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद, ऐसे जिले या महानगर क्षेत्र में प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के, यथास्थिति, एक या अधिक न्यायालय स्थापित कर सकेगी।

(2) जब तक कि उच्च न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो, उपधारा (1) के अधीन स्थापित न्यायालय केवल इस अधिनियम के अधीन मामलों की बाबत अधिकारिता का प्रयोग करेगा।

(3) उपधारा (2) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, किसी जिले या महानगर क्षेत्र में उपधारा (1) के अधीन स्थापित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की शक्तियाँ और अधिकारिता सम्पूर्ण जिले या महानगर क्षेत्र में, यथास्थिति, विस्तृत होगी।

(4) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, किसी जिले या महानगर क्षेत्र में उपधारा (1) के अधीन स्थापित न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 11 की उपधारा (1) या यथास्थिति, धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित न्यायालय समझे जाएंगे और संहिता के उपबन्ध तदनुसार ऐसे न्यायालयों के संबंध में लागू होंगे।

स्पष्टीकरण—इस धारा में "उच्च न्यायालय" का अर्थ दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की उपधारा (2) के खंड (ङ) के अनुरूप है।

[**22-कक. विशेष न्यायालय गठित करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति**—(1) यदि केन्द्रीय सरकार को यह समाधान हो जाए कि इस अधिनियम के अधीन और एक से अधिक राज्यों में कारित अपराधों के शीघ्रतया विचारण करने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक है, तो वह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और संबंधित उच्च न्यायालय की सलाह के पश्चात्, ऐसे अपराधों के विचारण के लिए प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेटों या महानगरीय मजिस्ट्रेटों के एक या अधिक न्यायालयों का गठन कर सकेगी।

(2) धारा 21-क के उपबंध यथासाध्य, उपधारा (1) के अधीन गठित न्यायालयों पर लागू होंगे, जैसे कि वे उस धारा के अधीन गठित न्यायालयों को लागू होते हैं।]

22-ख. न्यायालयों की मामलों को संक्षिप्त विचारण की शक्ति—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होने पर, यदि राज्य सरकार वैसा करना आवश्यक समझे, निर्दिष्ट कर सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा (धारा 22-क के अधीन स्थापित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को सम्मिलित करते हुए) संक्षिप्त रूप से विचारित किए जाएंगे और उक्त संहिता की धाराओं 262 से 265 (दोनों को सम्मिलित करते हुए) जहाँ तक हो सके, ऐसे विचारण पर लागू होंगे :

परन्तु इस धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण में किसी दोषसिद्धि के मामले में मजिस्ट्रेट को एक वर्ष से कम की अवधि के कारावास का दंडादेश पारित करना विधिमान्य होगा :

परन्तु यह और भी कि इस धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण के प्रारम्भ पर या अनुक्रम में मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत हो कि मामले की प्रकृति ऐसी है कि एक वर्ष से अधिक का कारावास दंडादिष्ट किया जा सके या किसी अन्य कारण से मामले का संक्षिप्त विचारण किया जाना अवांछनीय है; मजिस्ट्रेट पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात् उस प्रभाव का आदेश अभिलिखित करेगा और तत्पश्चात् किसी साक्षी को पुनः बुलाएगा जिसकी परीक्षा की जा सके, और उक्त संहिता द्वारा उपबन्धित रीति में मामले की सुनवाई के लिए अग्रसर होगा।

23. नियम बनाने की शक्ति–(1) राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम उपबन्ध कर सकेंगे–

(क) किसी स्थान के लोक स्थान होने के बारे में अधिसूचना;

(ख) उन व्यक्तियों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखना, जिन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाने का आदेश धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन पारित हुआ हो, और उनकी देखरेख;]

(ख-ख) सुधार संस्था के किसी अपराधी की धारा 10 की उपधारा (3) के अधीन और ऐसे अपराधी को दी जाने वाली अनुमति का प्रारूप;

(ग) इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति का संरक्षण गृहों या यथास्थिति, सुधार संस्थाओं में रखा जाना और निरोध तथा उनका अनुरक्षण,

(घ) छोड़े गए दोषसिद्ध द्वारा निवास के परिवर्तन या गैर-हाजिरी को अधिसूचित करने के संबंध में धारा 11 के उपबंधों को करना;

(ङ) धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त करने के प्राधिकार का प्रत्यायोजन;

(च) धारा 18 के उपबन्धों को प्रभावी करना;

(छ) (i) धारा 21 के अधीन संरक्षण गृहों और सुधार संस्थाओं के स्थापन, अनुरक्षण, प्रबन्ध और अधीक्षण तथा ऐसे गृहों और संस्थाओं में नियोजित व्यक्तियों की नियुक्ति, शक्तियाँ और कर्त्तव्य;

(ii) प्रारूप जिसमें अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया जा सके और विशिष्टियाँ जो ऐसे आवेदन में अन्तर्विष्ट हों;

(iii) अनुज्ञप्ति के जारी करने या नवीकरण करने की प्रक्रिया, समय, जिसके अन्दर अनुज्ञप्ति जारी या नवीकृत की जाएगी और अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन की बाबत सम्पूर्ण और विस्तृत अन्वेषण करने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(iv) अनुज्ञप्ति का प्रारूप और उसमें विनिर्दिष्ट की जाने वाली शर्तें;

(v) रीति जिसमें संरक्षण गृह और सुधार संस्थाओं के लेखा बनाए रखे जाएंगे संपरीक्षित किए जाएंगे;

(vi) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुरक्षित रजिस्टर और कथन तथा ऐसे रजिस्टरों और कथनों का प्रारूप;

(vii) संरक्षण गृहों और सुधार संस्थाओं के वासियों की देखभाल, व्यवहार, प्रशिक्षण, आदेश, नियंत्रण और अनुशासन;

(viii) ऐसे वासियों को परिदर्शन से पत्र-व्यवहार;

(ix) संरक्षण गृहों का सुधार संस्थाओं में निरोध को दंडादिष्ट किसी व्यक्ति का अस्थाई निरोध, जब तक कि उन्हें संरक्षण गृहों का सुधार संस्थाओं में भेजने की व्यवस्था की जाती है;

(x) (क) एक संरक्षण गृह से दूसरे में या सुधार संस्था को;

(ख) एक सुधार संस्था से दूसरी ओर या संरक्षण गृह को, धारा 21 की उपधारा (9क) के अधीन वासियों का अन्तरण;

(xi) संरक्षण गृह या सुधार संस्था के अन्य वासियों पर अशोध्य या बुरा असर डालने वाले व्यक्ति को न्यायालय के आदेश के अनुसरण में संरक्षण गृह या सुधार संस्था से कामगार को अन्तरण और ऐसे कारागार में उसके निरोध की कालावधि;

(xii) धारा 7 या धारा 8 के अधीन दंडादिष्ट व्यक्ति का संरक्षण गृह या सुधार संस्था को अन्तरण तथा ऐसे गृह या संस्था में उनके निरोध की कालावधि;

(xiii) संरक्षण गृह या सुधार संस्था से वासियों की, चाहे पूर्णतया या शर्तों के अध्यधीन, उन्मुक्ति और ऐसी शर्तों के भंग की दशा में उनकी गिरफ्तारी;

(xiv) वासियों को स्वयं को संक्षिप्त कालावधि के लिए गैरहाजिर रखने की अनुज्ञा की मंजूरी;

(xv) संरक्षण गृहों, सुधार संस्थाओं और अन्य संस्थाओं, जिनमें कोई व्यक्ति रखे जाते हों निरुद्ध किए जाते हों, या अनुरक्षित किए जाते हों, का निरीक्षण;

(ज) अन्य कोई विषय जो विहित किया जाना हो या किए जा सकें।

(3) राज्य सरकार उपधारा (2) के खंड (घ) या खण्ड (ज) के अधीन नियम बनाने मे उपवन्ध कर सकेगी कि उनका भंग जुर्माने से, या दो सौ पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(4) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी नियम उनके बनाए जाने के पश्चात् यावत्शक्य शीघ्र राज्य विधायिका के समक्ष रखे जायेंगे।

24. अधिनियम का कतिपय अन्य विधियों के अल्पीकरण के रूप में न होना—इस अधिनियम की कोई बात, सुधार विद्यालय अधिनियम, 1897 या उक्त अधिनियम के उपान्तरण अधिनियमित किसी राज्य अधिनियम या अन्यथा, किशोर अपराधियों के संबंध में, के उपबन्धों के अल्पीकरण के रूप में अर्थ नहीं लगाया जाएगा।

25. निरसन और व्यावृत्तियाँ—(1) इस अधिनियम के अधीन धारा 1 के अतिरिक्त अन्य उपबन्ध किसी राज्य में प्रवृत्त होने की तारीख से, स्त्री और लड़की अनैतिक व्यापार दमन या वेश्यावृत्ति के निवारण से संबंधित सभी राज्य अधिनियम जो उस राज्य में ऐसी तारीख के तत्काल पूर्व प्रवर्तन में हों, निरसित हो जाएंगे।

(2) उपधारा (1) में निर्देशित किसी राज्य अधिनियम का इस अधिनियम द्वारा निरसन होने पर भी, ऐसे राज्य अधिनियम के उपबन्धों के अधीन की गई बात या कार्यवाही (कोई दिए गए निदेश, किसी रजिस्टर, नियम यां किए गए आदेश या अधिरोपित निबन्धन को सम्मिलित करते हुए) जहाँ तक ऐसी बात या कार्यवाही इस अधिनियम के प्रतिकूल न हो, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी मानो उक्त अधिनियम कार्य या बात किए जाते समय प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि इस अधिनियम के अधीन किसी बात या कार्यवाही द्वारा अधिक्रान्त न किए जाएँ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में "राज्य सरकार" पद के अन्तर्गत ("प्रान्तीय सरकार") भी होती है।